संख्या-33/2026/422(1)/001-12-5099-55-2022

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के अन्तर्गत तृतीय वर्ष के अवशेष कार्यों के साथ चतुर्थ वर्ष के कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/13/का०यो०/बुंदेलखण्ड प्राकृ०खे०/2026-27, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 एवं संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०), उ०प्र० कृषि भवन, लखनऊ के पत्रांक-भू०सं०/ बाढ़ो०यो०/19/बुंदेलखण्ड प्राकृ०खे०/2025-26, दिनांक 20 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत तृतीय वर्ष के अवशेष कार्यों के साथ चतुर्थ वर्ष के कार्य कराये जाने हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 03-बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में कुल रू० 637.16 लाख(रूपये छः करोड़ सैतीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।
6. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
7. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,82,00,000 (रुपये दो करोड़ बयासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2402001030300 बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 3,55,16,000 (रुपये तीन करोड़ पचपन लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2402001030300 बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-33/2026/422(1)/001-12-5099-55-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तरत प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तरद प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. संयुक्त कृषि निदेशक (भू०सं०), कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ो०यो०)/परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
8. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।